

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर, गाजीपुर, देवरिया, बिजनौर, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी,
फर्रुखाबाद, सम्भल, शामली, गौतमबुद्धनगर, महाराजगंज, गोरखपुर एवं वाराणसी ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में डूबकर होने वाली मृत्यु से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/
परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रु० 1005.00 लाख (रुपये दस करोड़ पांच लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र०	जनपद का नाम	मद०9-	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (में 0रु)
1	2	3	4
1	सीतापुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00
2	गाजीपुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
3	देवरिया	डूबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
4	बिजनौर	डूबकर होने वाली मृत्यु	1600000.00
5	कौशाम्बी	डूबकर होने वाली मृत्यु	8000000.00
6	फिरोजाबाद	डूबकर होने वाली मृत्यु	3500000.00
7	मिर्जापुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00
8	बलरामपुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	8000000.00
9	हरदोई	डूबकर होने वाली मृत्यु	20000000.00
10	बाराबंकी	डूबकर होने वाली मृत्यु	10000000.00
11	फर्रुखाबाद	डूबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
12	सम्भल	डूबकर होने वाली मृत्यु	4000000.00

13	शामली	डूबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00
14	गौतमबुद्धनगर	डूबकर होने वाली मृत्यु	400000.00
15	महराजगंज	डूबकर होने वाली मृत्यु	7000000.00
16	गोरखपुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00
17	वाराणसी	डूबकर होने वाली मृत्यु	15000000.00
योग			100500000.00
(रु० दस करोड पांच लाख मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (4) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1005.00 लाख (रू0 दस करोड़ पांच लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)

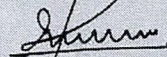
विशेष सचिव।

संख्या- 979 (1)/एक-10-2024, तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

४

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-05/06/2024

प्रेषण संख्या:- 979
आवंटन आदेश संख्या:- 001-979
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 5600000	1600000 5600000
2	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 12500000	5000000 12500000
3	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 15000000	15000000 15000000
4	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 11500000	2000000 11500000
5	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
6	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 7000000	2000000 7000000
7	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15000000	5000000 15000000
8	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
9	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 20000000	20000000 20000000
10	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
11	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 3500000	3500000 3500000
12	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7000000 19000000	7000000 19000000
13	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 49100000	400000 49100000
14	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 13200000	8000000 13200000
15	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 8000000	8000000 8000000
16	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
17	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 4000000	4000000 4000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100500000 202400000	100500000 202400000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ पाँच लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ चौबीस लाख

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश